संख्या-76/2025/001-806-1-2025-53-2023

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 22 सितम्बर, 2025

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025.26 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं को टैरिफ सब्सिडी हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या- 650/ अधि०नि० (वित्त) / वि०प्र०- 2/ आय-व्ययक 2025-26/468, दिनांक 02 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वितीय वर्ष 2025-26 में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या 9 के लेखाशीर्ष 2801-05-800-08-20 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं को टैरिफ सब्सिडी हेतु प्राविधानित धनराशि रुपये 1800,00,00,000/- (रुपये एक हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 900,00,00,000/- (रुपये नौ सौ करोड़ मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय' सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अक्टूबर, 2025 से माह मार्च, 2026 तक धनराशि रुपये 150,00,00,000/- (रुपये एक सौ पचास करोड मात्र) की 06 समान मासिक किश्तों में माह के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण उसी मद में किया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426,दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकारए उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(5) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), (5) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि की किश्त के व्यय विवरण उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित अगली किश्त का मांग पत्र देय तिथि से तीन दिन पूर्व उपलब्ध कराने पर ही अगली किश्त निर्गत की जायेगी।

(7) द्वितीय किश्त के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(8) वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2-इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,00,00,00,000 (रुपये नौ सौ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 2801058000800 निजी नलकूप उपभोक्ताओं को टैरिफ सब्सिडी हेतु यू.पी.पी.सी.एल.को अनुदान मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-51-X-2025-26-दिनांक: 12-9-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव ।

संख्या-/2025/001-806(1)-1-2025-53-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- महालेखाकारए (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-11), उ०प्र०, आडिट भवन, टी०सी०-35-वी-
4. विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. वित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।